

plants, utilisation of low calorific fuel, and setting up of large thermal projects, and development of power systems has been envisaged.

In addition, in the Agreement on Economic and Technical Co-operation signed between the two countries in New Delhi on 10th December, 1980, construction of an integrated thermal power plant of the capacity of 1000 MW (with possibility of expansion up to 3000 MW) together with the associated transmission and coal development facilities has been envisaged.

In protocol of the Sixth Session of the inter-governmental Indo-USSR Joint Commission for Economic, Scientific and Technical Co-operation also, reference has, inter alia, been made to cooperation between the two countries in the construction of the above mentioned integrated thermal plant, and to operation and maintenance of power plants, supply of spares and training.

#### **बनकबोडी तापीय बिजली घर के लिए जनरेटिंग सैटों का आयात**

\* 408. श्री छोटू भाई गामित : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने बनकबोडी तापीय बिजलीघर के दूसरे चरण के लिए विद्यों से जनरेटिंग सैट खरीदने हेतु भारत सरकार से अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार का जनरेटिंग सैट खरीदने का प्रस्ताव है तथा यह किस देश से खरीदा जाना है और तत्सम्बन्धी ब्लौरा क्या है ;

(ग) गुजरात सरकार द्वारा जनरेटिंग सैट खरीदने की अनुमति कब मांगी गई थी और उसके लिए अभी तक अनुमति न दिए जाने के क्या कारण है; और

(घ) विदेश से जनरेटिंग सैट खरीदने की अनुमति कब तक दिए जाने की संभावना

है और शीघ्र अनुमति देने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० ब० ए० गनौ खाल चौधरी) : (क) से (घ) : भारत सरकार की वर्तमान आयात नीति में विद्युत उत्पादन उपस्कर की सप्लाई के लिए परियोजना प्राधिकारियों को विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित करने की अनुमति है। इन विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर आयात के प्रस्तावों के लिए, उद्योग मंत्रालय में सचिव भारी उद्योग की अधिकता में गठित शक्ति प्रदत्त समिति की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस नीति के अन्तर्गत, गुजरात बिजली बोर्ड ने अपनी बानकबोडी ताप विद्युत परियोजना चरण दो की  $3 \times 210$  मेगावाट की यूनिटों के लिए टर्बी जेनरेटरों और बायलरों की सप्लाई के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की थी और जापान के मैसर्ज निस्सहोइकाई से टर्बी जेनरेटरों का आयात करने की अनुमति देने का अनुरोध मई, 1980 में तथा इटली के मैसर्ज अन्साल्डो से बायलरों का आयात करने की अनुमति देने का अनुरोध सितम्बर, 1980 में शक्ति प्रदत्त समिति से किया था। इस शक्ति प्रदत्त समिति ने स्वदेशी निर्माण क्षमता की उपलब्धता सहित सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आयात के इन प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं दी थी और नवम्बर, 1980 टर्बी जेनरेटरों के लिए तथा दिसम्बर, 1980 में बायलरों के लिए स्वदेशी सप्लाईकर्ता मैसर्ज भारत हैवी लेक्ट्रिकल्स लिमिटेडर को आर्ड देने की सलाह गुजरात बिजली बोर्ड को दी थी। इन निर्णयों के विश्व गुजरात बिजली बोर्ड के परवर्ती अभ्यवेदनों पर भी विचार किया गया है और इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है तथा गुजरात बिजली बोर्ड को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।